

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-

2017

**विषय:-** बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 73,47,27,000/- (तिहत्तर करोड़ सैतालीस लाख सत्ताईस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 73,47,27,000/- (तिहत्तर करोड़ सैतालीस लाख सत्ताईस हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

कृ०प०उ०

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
15. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन  
ह0/-  
(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-02/2017 सा0-11/...../ पटना, दिनांक-28-6/2017  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव



क्र० सं०	जिला का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कार्यालय व्यय	वा० का ई० एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	वर्दी/पोशाक	संविदा सेवाएँ	कुल								
										कूट संख्या -	06 01	13 01	13 02	13 03	13 04	13 06	28 02
											10	11	12	13	14	15	16
1	पटना	0	3,00,000	2,20,000	1,00,000	10,00,000	40,000	30,00,000	759,10,000								
2	नालन्दा	0	1,40,000	1,20,000	80,000	80,000	14,000	12,00,000	186,84,000								
3	गया	50,000	2,40,000	2,20,000	1,00,000	1,20,000	30,000	30,00,000	239,90,000								
4	अरवल	0	1,20,000	80,000	60,000	60,000	10,000	10,00,000	153,05,000								
5	मुजफ्फरपुर	0	2,40,000	1,20,000	1,00,000	1,00,000	30,000	30,00,000	238,00,000								
6	सिवान	0	1,20,000	80,000	60,000	60,000	10,000	10,00,000	183,60,000								
7	भागलपुर	0	1,20,000	1,00,000	80,000	1,20,000	40,000	20,00,000	226,70,000								
8	लक्खीसराय	0	1,20,000	80,000	60,000	60,000	10,000	8,00,000	121,60,000								
9	शेखपुरा	0	1,20,000	80,000	60,000	60,000	10,000	8,00,000	121,60,000								
10	जमुई	0	1,20,000	80,000	60,000	60,000	10,000	10,00,000	123,50,000								
11	पूर्णियां	0	1,20,000	1,00,000	80,000	1,00,000	40,000	30,00,000	205,00,000								
12	अररिया	1,00,000	1,20,000	80,000	60,000	60,000	10,000	8,00,000	152,60,000								
13	किशनगंज	0	1,20,000	80,000	60,000	80,000	10,000	8,00,000	129,30,000								
14	भोजपुर	0	0	0	0	0	0	0	256,40,000								
15	बक्सर	0	0	0	0	0	0	0	139,90,000								
16	रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	169,90,000								
17	कैमूर(भमुआ)	0	0	0	0	0	0	0	139,40,000								
18	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	169,90,000								
19	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	169,90,000								
20	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	360,40,000								
21	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	199,90,000								
22	पू०चम्पारण	0	0	0	0	0	0	0	169,90,000								
23	प०चम्पारण	0	0	0	0	0	0	0	169,90,000								
24	शिवहर	0	0	0	0	0	0	0	108,90,000								
25	वैशाली	0	0	0	0	0	0	0	169,90,000								
26	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	200,50,000								
27	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	199,90,000								
28	समस्तीपुर	0	0	0	0	0	0	0	199,90,000								
29	सारण	0	0	0	0	0	0	0	201,50,000								
30	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	169,90,000								
31	बांका	0	0	0	0	0	0	0	139,90,000								
32	मुंगेर	0	0	0	0	0	0	0	171,50,000								
33	खगड़िया	1,00,000	0	0	0	0	0	0	170,90,000								
34	बेगूसराय	13,000	0	0	0	0	0	0	170,03,000								
35	कटिहार	0	0	0	0	0	0	0	170,90,000								
36	सहरसा	0	0	0	0	0	0	0	177,50,000								
37	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	169,90,000								
38	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	139,85,000								
कुल योग -		2,63,000	20,00,000	14,40,000	9,60,000	19,60,000	2,64,000	214,00,000	7347,27,000								

(तिहत्तर करोड़ सैतालीस लाख सत्ताईस हजार रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला  
स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन:-

पृष्ठ-1/2

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	यात्रा व्यय
		कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 06	01 07	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	400,00,000	300,00,000	10,00,000	1,50,000	50,000	712,00,000	50,000
2	नालन्दा	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	60,000
3	गया	93,00,000	100,50,000	6,00,000	1,50,000	50,000	201,50,000	80,000
4	अरवल	63,00,000	70,50,000	4,50,000	1,00,000	40,000	139,40,000	35,000
5	मुजफ्फरपुर	93,00,000	100,50,000	6,00,000	1,50,000	50,000	201,50,000	60,000
6	सिवान	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	40,000
7	भागलपुर	93,00,000	100,50,000	6,00,000	1,50,000	50,000	201,50,000	60,000
8	लक्ष्मीसराय	48,00,000	55,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	109,90,000	40,000
9	शेखपुरा	48,00,000	55,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	109,90,000	40,000
10	जमुई	48,00,000	55,50,000	5,00,000	1,00,000	35,000	109,85,000	35,000
11	पूर्णिया	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	50,000	170,00,000	60,000
12	अररिया	63,00,000	70,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	139,90,000	40,000
13	किशनगंज	55,50,000	55,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	117,40,000	40,000
14	भोजपुर	100,00,000	150,00,000	5,00,000	1,00,000	40,000	256,40,000	0
15	बक्सर	63,00,000	70,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	139,90,000	0
16	रोहतास	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	0
17	कैमूर(मम्नुआ)	63,00,000	70,50,000	4,50,000	1,00,000	40,000	139,40,000	0
18	नवादा	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	0
19	जहानाबाद	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	0
20	औरंगाबाद	150,00,000	200,00,000	8,00,000	2,00,000	40,000	360,40,000	0
21	सीतामढ़ी	93,00,000	100,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	199,90,000	0
22	पूंचम्पारण	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	0
23	प०चम्पारण	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	0
24	शिवहर	48,00,000	55,50,000	4,00,000	1,00,000	40,000	108,90,000	0
25	वैशाली	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	0
26	दरभंगा	93,00,000	100,50,000	5,00,000	1,50,000	50,000	200,50,000	0
27	मधुबनी	93,00,000	100,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	199,90,000	0
28	समस्तीपुर	93,00,000	100,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	199,90,000	0
29	सारण	93,00,000	100,50,000	6,00,000	1,50,000	50,000	201,50,000	0
30	गोपालगंज	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	0
31	बांका	63,00,000	70,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	139,90,000	0
32	मुंगेर	78,00,000	85,50,000	6,00,000	1,50,000	50,000	171,50,000	0
33	खगड़िया	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	0
34	बेगूसराय	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	0
35	कटिहार	78,00,000	85,50,000	6,00,000	1,00,000	40,000	170,90,000	0
36	सहरसा	82,50,000	87,00,000	6,00,000	1,50,000	50,000	177,50,000	0
37	मधेपुरा	78,00,000	85,50,000	5,00,000	1,00,000	40,000	169,90,000	0
38	सुपौल	63,00,000	70,50,000	5,00,000	1,00,000	35,000	139,85,000	0
	कुल योग -	3272,00,000	3524,00,000	203,00,000	43,00,000	16,00,000	7058,00,000	6,40,000

contd....



बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-28-6-2017

**विषय:-** बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 73,47,27,000/- (तिहत्तर करोड़ सैतालीस लाख सत्ताईस हजार रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिये कुल ₹ 73,47,27,000/- (तिहत्तर करोड़ सैतालीस लाख सत्ताईस हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।**
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
15. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव